राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प.10(03)राज–6/2001/25 जयपुर, दिनांक 22/07/2025

परिपत्र

गौशाला प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (गौशाला को भूमि आवंटन) नियम 1957 जारी किये हुए है। इन नियमों के नियम 6 में उल्लेखित आंवटन के लिए निषेध भूमियों (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में निर्दिष्ट को, सिवाय इस धारा के खण्ड (iv) में उल्लेखित भूमि के और ग्राम्य वन के लिए आरक्षित भूमियों) को छोडकर इन नियमों के तहत गौशाला हेतु चारागाह भूमि के आवंटन के संबंध में इसी नियम के परंतुक के अनुसार निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के पश्चात् चारागाह भूमि का सक्षम स्तर से आवंटन किया जा सकता हैः–

1. गांव में गौशालाओं के लिए आवंटन के लिए उपयुक्त सिवायचक भूमि उपलब्ध नही है;
2. गांव में पशुओ को चराने के लिए पर्याप्त मात्रा (प्रति पशु आधा बीघा अनुपात) मे चारागाह भूमि उपलब्ध है।

चारागाह भूमि के गौशाला हेतु आवंटन के संबंध में समय–समय पर माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों से संशय की स्थिति को दूर करने के लिए महाधिवक्ता महोदय, राजस्थान ने यह राय दी है किः–

The situation would be governed by the provision of Rajasthan Gaushala Act 1960, Rajasthan Gaushala Rules, 1964 and Rajasthan Land Revenue (Allotment of land to Gaushalas) Rules, 1957. The restriction in this regard are provided in Rule 6 of the Rules of 1957. The matter in my opinion therefore should be dealt with according to the aforesaid provisions of law.

अतः किसी भी ग्राम में गौशाला के लिए आवंटन के लिए उपयुक्त सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं पशु संख्या के अनुपात में चारागाह भूमि की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उपरान्त गौशाला हेतु चारागाह भूमि के आवंटन की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7, राजस्थान भू–राजस्व (गौशाला को भूमि आवंटन) नियम 1957 के नियम 6 में निषेध की गई भूमि को छोडते हुए, राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 एवं राजस्थान गौशाला नियम 1964 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की जाये।

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये परिपत्र क्रमांक प.6(174)राज–3/2025 दिनांक 26.05.2025 द्वारा गौशालाओं के लिए चारागाह भूमि आंवटन के सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों से असंगत की सीमा तक अतिक्रमित किये जाते हैं। शेष परिपत्र यथावत प्रभावी रहेगा।

आज्ञा से

(हरि सिंह मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त, राजस्थान।
5. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
6. शासन उप सचिव, समस्त, राजस्व विभाग।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्व मण्डल, अजमेर को राविरा में प्रकाशनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव